बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

अगस्त 2021

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची पेज नं.

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 01–03

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 04

(C) नगरीय आपदा प्रबंधन योजना 05

(D) कोविड–19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत ''जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम 06–07

(E) सड़क सुरक्षा अभियान "Yellow Ribbon Express" का शुभारंभ 08

(F) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों का ऑनलाइन संवेदीकरण 09–10

(G) कनीय स्तर के पुलिस पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय प्रशिक्षण हेतु बैठक 11–12

(H) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 13

(I) कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के Volunteers का "बाढ़ प्रत्युत्तर, कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम एवं टेलीमेडिसिन" विषय पर ऑनलाईन संवेदीकरण 14

(J) जीविका दीदियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु तीन दिवसीय राज्य स्तरीय "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण कार्यक्रम 15

(K) ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 16–17

(L) ग्राम आपदा प्रबंधन योजना पर राज्यस्तरीय कार्यशाला 18

(M) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम 19–23

(N) ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण 24

(O) **Bihar State Disaster Resource Network** की **Review** मीटिंग 25

(P) **Mass Messaging** 26–27

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

25 August 2021 Refresher

मासिक प्रतिवेदन (अगस्त, 2021)

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

दिनांक 31 अगस्त 2021 तक राज्य के सभी (38) जिलों के साथ साथ भूकम्पीय जोन V के 8 जिलों (किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी) में से दरभंगा एवं मधुबनी को छोड़ बाकी के 6 जिलों में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर अनुभवी राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरे बैच का प्रशिक्षण सम्पादित किया गया है।

इस प्रकार **दिनांक 31 अगस्त 2021 तक कुल 18,905 अनुभवी राजमिस्त्रियों** को एवं 37 जिलों (समस्तीपुर को छोड़) में (मुख्यालय सहित) कुल 2633 असैनिक अभियंताओं को **भवनों के भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक** विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

1. **दिनांक 06 से 12 अगस्त 2021 तक, जमुई जिला के सभी (10) प्रखंडों में** दूसरे बैच में **कुल 299** राजमिस्त्रियों को एवं **लखीसराय जिला के सभी (07) प्रखंडों में** दूसरे बैच में **कुल 204**

राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन के विषय पर **सात दिवसीय प्रशिक्षण** के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

2. दिनांक 02 एवं 03 अगस्त 2021 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 13 अभियंताओं का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभा कक्ष में सम्पादित किया गया।

3. जमुई जिला के सभी 10 प्रखंडों एवं लखीसराय जिला के सभी 07 प्रखंडों में दूसरे बैच में, दिनांक 06 से 12 अगस्त 2021 को होने वाले राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण के संदर्भ में दिनांक 04 अगस्त 2021 को कुल 20 अभियंता प्रशिक्षकों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभा कक्ष में सम्पादित किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अगस्त 2021 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**प्रशिक्षण तिथि/स्थान**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या**
1	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	06 से 12 अगस्त/जमुई	299 राजमिस्त्रियों
2	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	06 से 12 अगस्त/लखीसराय	204 राजमिस्त्रियों
3	रिफ्रेशर कोर्स	02 से 03 अगस्त को BSDMA, पटना में।	13 अभियंताओं
4	रिफ्रेशर कोर्स	04 अगस्त को BSDMA, पटना में।	20 अभियंताओं
5	रिफ्रेशर कोर्स	24 अगस्त को BSDMA, पटना में।	26 अभियंताओं
6	रिफ्रेशर कोर्स	25 अगस्त को BSDMA, पटना में।	14 अभियंताओं

जमुई जिला में दूसरे बैच में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण।			
क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**प्रशिक्षण तिथि**	**प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या**
1	सोना	06 से 12 अगस्त 2021	30
2	गिद्धौर		30
3	चकाई		30
4	बरहट		30
5	लक्ष्मीपुर		30
6	झाझा		30
7	अलीगंज		30
8	सिकंदरा		30
9	जमुई सदर		30
10	खैरा		29
		कुल	**299**

लखीसराय जिला में दूसरे बैच में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण।			
क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**प्रशिक्षण तिथि**	**प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या**
1	चानन	06 से 12 अगस्त 2021	30
2	बड़हिया		29
3	रामगढ़		30
4	पिपरिया		28
5	सदर लखीसराय		29
6	सूर्यगढ़ा		30
7	हलसी		28
		कुल	**204**

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

मदरसा के फोकल शिक्षकों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 55 बैच का प्रशिक्षण मार्च 2021 तक सम्पन्न कर लिया गया। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह प्रशिक्षण अप्रैल 2021 से बंद करना पड़ा पुनः यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 05 अगस्त, 2021 से प्रारंभ किया गया है। मदरसा बोर्ड के सहयोग से अगस्त 2021 में पांच प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन यूथ हॉस्टल, फ्रेज़र रोड, पटना में सम्पन्न हुआ।

अगस्त माह में सम्पन्न पांच सत्रों में सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों कि संख्या इस प्रकार है।

क्र. सं.	प्रशिक्षण तिथि	प्रतिभागियों कि संख्या
1	05 – 06 अगस्त	34
2	09 –10 अगस्त	27
3	12 –13 अगस्त	25
4	23 – 24 अगस्त	31
5	26 –27 अगस्त	32

(C) नगरीय आपदा प्रबंधन योजना

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए चयनित संस्थाओं के द्वारा दिनांक 10 एवं 11 अगस्त, 2021 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इन्सेप्शन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

दिनांक	चयनित संस्था	नगर निगम
10-08-2021	SEEDS, GPSCDMRD & Knowledge Links	नालंदा, गया, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर एवं भागलपुर
11-08-2021	IIPA, AFC & SPSHM	पटना, आरा, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं सारण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(D) कोविड–19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम 30 नवम्बर 2019 से प्रारंभ किया गया । कोविड–19 के कारण इस कार्यक्रम को मार्च 2020 एवं अप्रैल 2021 में स्थगित करना पड़ा। मार्च 2021 तक सारण, वैशाली, भोजपुर, पटना एवं जहानाबाद जिले के नेशलन हाइवे/स्टेट हाइवे पर अवस्थित 32 विद्यालयों/महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों के लगभग 3600 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं की इस कार्यक्रम में भागीदारी हुई। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुये छात्र/छात्राओं द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों का सम्पादन किया जाता है।

कोविड–19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को पुनः जुलाई 2021 में प्रारंभ किया गया।

अगस्त माह 2021 में समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सासाराम (रोहतास) एवं बेतिया (पश्चिम चम्पारण) जिलों के अन्तर्गत अवस्थित निम्नलिखित विद्यालयों/संस्थानों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया :–

क्र0सं0	दिनांक	विद्यालय का नाम
1	05.08.2021	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर।
		बी. आर. बी कॉलेज, समस्तीपुर।
2.	13.08.2021	श्री राधा कृष्णा गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी।
		जागेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुतही, सीतामढ़ी।
3.	20.08.2021	शेर शाह सूरी इंटर स्कूल, सासाराम(रोहतास)।
		हाई स्कूल चौखंडी पथ, रौजा रोड, सासाराम (रोहतास)।
4.	24.08.2021	एस0 एस0 गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)।
		राज इंटर कॉलेज, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)।

जुलाई–अगस्त माह 2021 में 14 विद्यालयों के लगभग 350 छात्र/छात्राओं (जुलाई माह 2021 में) + 600 (अगस्त माह 2021 में) छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार अभी तक यह कार्यक्रम 12 जिलों के 46 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 4550 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(E) सड़क सुरक्षा अभियान "Yellow Ribbon Express" का शुभारंभ

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संकल्प ज्योति एवं सेफ्टी एलायंस के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अभियान "Yellow Ribbon Express" का शुभारंभ दिनांक 15 अगस्त 2021 को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा हज भवन, पटना के पास से किया गया। इस अवसर पर Bikers के द्वारा पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर road users को जागरूक किया गया। Bikers के द्वारा भ्रमण के दौरान विशेष रूप से बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को जागरूक एवं सचेत किया गया तथा उनके हाथों में Yellow Ribbon बांधकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किए जाने हेतु शपथ भी दिलाई गई।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में पुलिस पदाधिकारियों का ऑनलाइन संवेदीकरण

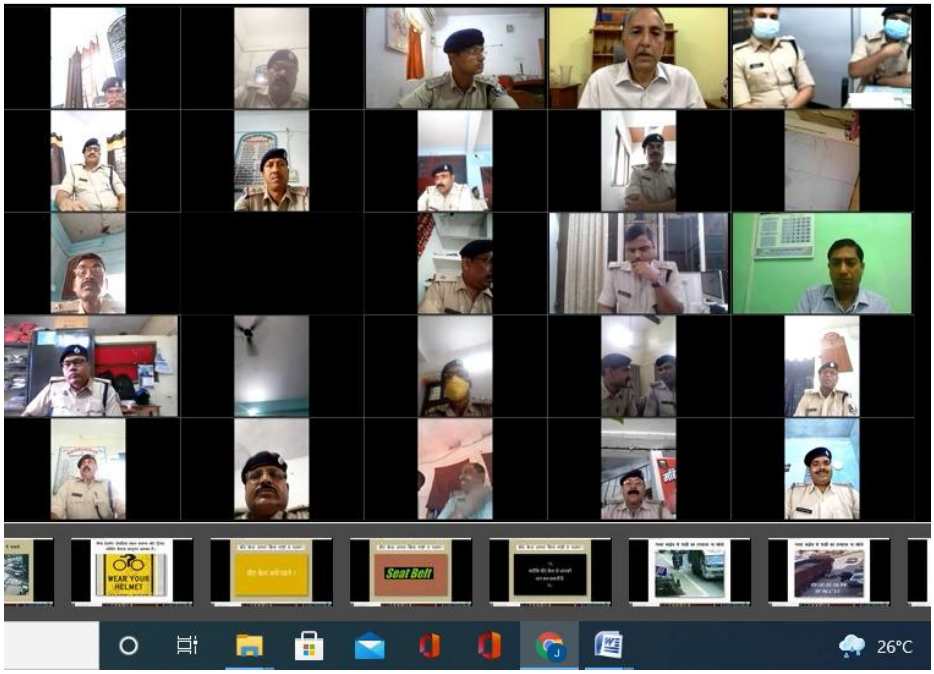

प्राधिकरण द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (यातायात),कार्यालय, पटना के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं बचाव के तरीकों आदि के संबंध में ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष आदि ने भाग लिया।

प्रतिभागियों से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के परिदृश्य के बारे में चर्चा की गई और उन्हें अवगत कराया गया कि सड़क दुर्घटना एक ऐसी मानव जनित आपदा है जिसे कम करने/रोकने में सभी Road Users एवं संबंधित विभागों/संस्थानों की संयुक्त जबावदेही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यह आवश्यक है कि हम सड़क दुर्घटनाओं से संबंधी खतरों/जोखिम को चिन्हित करें और आवश्यक उपायों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के उपायों जैसे वाहन चलाते समय हेलमेट का उपोग अवश्य करना, सड़क पार करते समय दाहिने–बांये एवं सामने देखकर सड़क पार करना, तीव्र गति से वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल एवं इयर फोन का उपयोग न करना आदि के बारे में वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संवेदीकरण किया गया।

प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित खतरों को चिन्हित करने, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु प्रवर्तन जैसे लाईसेंस एवं वाहन फिटनेस जांच आदि कार्यों का सम्पादन दैनिक कार्यों के साथ ही किये जाने का सुझाव दिया गया। दैनिक कार्यों के दौरान ही विद्यालयों/महाविद्यालयों, ट्रक–टेम्पों स्टैंड्स आदि पर छात्र/छात्राओं, वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों के बारे में संवेदीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया।

प्रतिभागियों को Road Safety Engineering Measures जैसे रोड डिजांइन, साइनेजेज, एलाइनमेन्ट, क्रॉस सेक्सन, रोड सेफ्टी ऑडिट, ब्लैक स्पॉट एवं ग्रे स्पॉट आदि के बारे में अवगत कराया गया।

उक्त कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अस्पताल पूर्व चिकित्सा के बारे में विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को दुर्घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों एवं अन्य सामान्य नियमों के बारे में, रक्तश्राव रोकने के उपायों, हड्डी टुटने के स्थिति में घायल व्यक्ति की सहायता के तरीके, दम घुटने जैसी स्थिति में प्राथमिक उपचार के तरीकों एवं सी0पी0आर0 आदि के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

उल्लिखित ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम को निम्न जिलों में संचालित किया गया। प्रतिभागियों की उपस्थिति सहित जिलों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1	मुजफ्फरपुर, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), गोपालगंज, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) एवं बगहा	25 अगस्त 2021	95

(G) कनीय स्तर के पुलिस पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय प्रशिक्षण हेतु बैठकः

कनीय स्तर के पुलिस पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण किए जाने के आलोक में दिनांक 27.08.2021 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में एक बैठक माननीय सदस्य, पी0एन0 राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रशिक्षण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. सर्वप्रथम मास्टर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 06 दिवसीय रखने पर विमर्श किया गया और कार्यक्रम के Indoor एवं Outdoor विषयों और सत्र पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस मुख्यालय की सहमति के उपरांत अग्रिम कार्रवाई होगी।
2. प्रशिक्षण के विषयों की सामग्री तैयार करने के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा बताया गया कि सामग्री तैयार करने हेतु पुलिस मुख्यालय ने वरीय अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है, जो कार्यरत/सेवा निवृत अधिकारियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण कराएगी। माननीय सदस्य के द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षण सामग्री निर्माण में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस के अधिकारियों का भी सहयोग लेना चाहिए। प्राधिकरण के द्वारा भी यथोचित सहयोग किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण सामग्री/मॉडयूल का निर्माण करने वाले अधिकारियों/कर्मियों को मानदेय देने की आवश्यकता को पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) ने व्यक्त किया। माननीय सदस्य के द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रशिक्षण संबंधी सभी वित्तीय प्रबंध पुलिस का होना चाहिए। चूँकि पुलिस संगठन में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण होता है और यह जारी रहेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पुलिस संगठन में ही इस कार्य के लिए बजटीय प्रावधान हो। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) से अनुरोध किया गया कि वे यथोचित निर्णय लें। माननीय सदस्य के द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मॉडयूल निर्माण हेतु राशि का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से होगा।

4. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) ने बताया कि सर्वप्रथम मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के लिए बजटीय प्रबंध कर इस कार्यक्रम को तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रशिक्षण के लिए बजटीय उपबंध उपलब्ध रहता है। इस प्रकार सर्वप्रथम मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी वित्तीय वर्ष में करने का निर्णय हुआ।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाले सभी व्यय जैसे प्रशिक्षणार्थियों का आवासन, भोजन, Resource Persons का मानदेय इत्यादि का प्रावधान पुलिस संगठन के द्वारा किया जाएगा। चूंकि यह कार्यक्रम पूर्व में बिपार्ड में किया गया है, इसलिए पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) ने निर्देश दिया कि बिपार्ड से आवश्यक राशि का आकलन मांगा जाए एवं उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय से राशि प्राप्त की जाएगी।

6. जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन पुलिस के द्वारा किया जाएगा और उसी के अनुसार राशि प्राप्त की जाएगी। इस कार्य को भी समानान्तर रूप से प्रारंभ करने की आवश्यकता होगी।

7. बैठक में शामिल सदस्यों का यह मत था कि इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम को सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में होने वाले बुनियादी प्रशिक्षण में भी शामिल करना चाहिए। इस विषय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(H) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 10 एवं 11वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी, 2018 से प्रारंभ किया गया।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में चल रहा है। माह अक्टूबर, 2019 तक कुल 914 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2018 में प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों के अनुरूप जून माह में बाढ़ प्रवण जिलों में स्थानांतरित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गैर अनुभवी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण जुलाई माह से बिपार्ड में प्रारंभ किया गया। अप्रैल, 2019 में 91 नव नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर में दिनांक 15–16 अक्टूबर को 15 बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारियों का एवं 24–25 अक्टूबर को बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 प्रशिक्षु पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में सम्पन्न हुआ।

इस प्रशिक्षण में दिनांक 11.02.2020 से 12.02.2020 नव नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 55 प्रशिक्षु पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड के माध्यम से किया गया। इसी क्रम में दिनांक 17.08.2021 से 18.08.2021 तक नव नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 31 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड के माध्यम से सम्पन्न किया गया।

इस प्रकार अगस्त 2020 तक बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 1000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के Volunteers का "बाढ़ प्रत्युत्तर, कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम एवं टेलीमेडिसिन" विषय पर ऑनलाईन संवेदीकरण

दिनांक 04.08.2021 एवं 06.08.2021 को कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के Volunteers का "बाढ़ प्रत्युत्तर, कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम एवं टेलीमेडिसिन" विषय पर ऑनलाईन संवेदीकरण किया गया। इन कार्यक्रमों में लगभग 375 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। संवेदीकरण के दौरान प्रतिभागियों को बाढ़ के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को कैंप में एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने में यथा संभव मदद करने, बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने आदि के दौरान सहायता प्रदान करने के बारे में संवेदीकरण किया गया। कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के Volunteers से कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मास्क पहनने, समाजिक दूरी बनाये रखने एवं भीड़–भाड़ के स्थानों पर न जाने हेतु समुदाय के बीच प्रचार–प्रसार करने हेतु अपील की गई। कोविड–19 के टीकाकरण हेतु समुदाय के बीच प्रचार–प्रसार किए जाने पर भी चर्चा की गई।

कोविड महामारी से बचाव, रोकथाम तथा घर पर आइसोलेशन व क्वारेंटीन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। बाढ़ से बचाव एवं प्रत्युत्तर के दौरान कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के Volunteers की भूमिका के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संवेदीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिभागियों को नौका दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों सर्पदंश प्रबंधन, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के तरीकों आदि के बारे में संवेदीकरण किया गया। प्रतिभागियों को टेलीमेडिसिन के लाभ एवं उपयोगिता के बारे में भी अवगत कराया गया।

(J) जीविका दीदियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु तीन दिवसीय राज्य स्तरीय "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण कार्यक्रम

जीविका दीदियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु तीन दिवसीय राज्य स्तरीय "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण प्रथम मॉड्यूल ''प्राकृतिक आपदाएं'' विषय पर दिनांक 10–12 अगस्त 2021 से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पटना में आरंभ किया गया। इस "मास्टर ट्रेनर्स" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा एवं मधुबनी जिले के क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयक ने भाग लिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 27 प्रतिभागियों की भागीदारी हुई जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	10–12 अगस्त, 2021	पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा एवं मधुबनी	27
		कुल	27

(K) "आपात स्थिति में पशु प्रबंधन" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहां सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित होता है। इन आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते है। आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास कर एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 13.08.2019 को बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में राज्य पशु आपदा प्रबंधन योजना के प्रारूप पर चर्चा कर उसे अंतिम रुप देने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा अनुरोध किया गया कि "आपात स्थिति में पशु प्रबंधन" विषय पर पशु चिकित्सकों के तर्ज पर पशुधन सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर "आपात स्थिति में पशु प्रबंधन" विषय पर पशु एवं

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशुधन सहायकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 15 फरवरी, 2021 से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय। अगस्त, 2021 तक कुल 07 बैचो में 200 पशुधन सहायकों प्रशिक्षित किया गया जो इस प्रकार है।

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरबरी, 2021	30
2	18–20 फरबरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
	कुल	**200**

(L) ग्राम आपदा प्रबंधन योजना पर राज्यस्तरीय कार्यशाला

सुरक्षित गांव के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी गांवों का आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। जिससे सुरक्षित बिहार की कल्पना को साकार किया जा सके। इसी क्रम में दिनांक 23 अगस्त 2021 को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी के अध्यक्षता में ग्राम आपदा प्रबंधन योजना पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पटना के सभागार में सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम आपदा प्रबंधन योजना को अन्तिम रूप देना था कार्यशाला में शामिल विशेषज्ञों, राज्यस्तरीय पदाधिकारियों, जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को मार्गदर्शिका में समाहित करते हुए अंतिम रूप दिया जाना है। कार्यशाला में प्राधिकरण के सदस्य श्री पी0एन0राय, श्री के0 एम0 सिंह एवं डॉ0 मुजफ्फर अहमद, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए।

कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों, पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को मार्गदर्शिका में सम्मिलित करते हुए सभी जिला पदाधिकारी एवं कार्यशाला में भाग लिये गये प्रतिभागियों को उनके अवलोकन हेतु मार्गदर्शिका भेजा जाय। कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग, जीविका के साथ–साथ सीतामढ़ी, पटना, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, गया, दरभंगा, वैशाली, औरंगाबाद, नवादा एवं बांका जिलों के अपर समाहर्ता/आपदा प्रभारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा चयनित पंचायतों के मुखिया के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई।

(M) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर अगस्त माह में राज्य के कुल 337 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 74 सरकारी एवं 263 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

माह अगस्त 2021 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	3	15	18
2	नालंदा	0	1	1	1	11	12
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भगुआ	1	0	1	0	0	0
5	भोजपुर	0	0	0	0	2	2
6	बक्सर	0	0	0	0	0	0
7	गया	0	0	0	0	5	5
8	जहानाबाद	0	0	0	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	1	1	2	0	8	8
11	औरंगाबाद	0	0	0	7	11	18
12	छपरा	0	0	0	0	0	0
13	सिवान	1	0	1	0	6	6
14	गोपालगंज	0	0	0	0	3	3
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढ़ी	0	0	0	0	1	1
17	शिवहर	2	0	2	0	0	0
18	बेतिया	0	0	0	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	14	14
20	मोतिहारी	0	0	0	36	50	86
21	वैशाली	0	0	0	0	27	27
22	दरभंगा	2	3	5	0	12	12
23	मधुबनी	0	0	0	0	7	7
24	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0
25	सहरसा	0	0	0	0	0	0
26	सुपौल	0	2	2	3	1	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	2	2
28	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0
29	अररिया	0	0	0	0	1	1
30	किशनगंज	2	0	2	0	24	24
31	कटिहार	0	0	0	0	0	0
32	भागलपुर	3	5	8	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	0	0	0
34	बाँका	0	0	0	0	0	0
35	मुंगेर	0	0	0	0	2	2
36	लखीसराय	0	0	0	0	6	6
37	शेखपुरा	0	0	0	1	13	14
38	जमुई	0	2	2	10	11	21
39	खगड़िया	0	0	0	1	0	1
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	12	14	26	62	249	311

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दिनांक 09/08/2021 को बिहार अग्नि शाम सेवाएं के मुख्य कार्यालय पटना में अग्नि सुरक्षा पर बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक मे अस्पताल अग्नि सुरक्षा विषय पर विशेष बल दिया गया। प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने सभी जिलों के संबंधित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारियों से उनकें जिले में हो रहे अस्पतालों के अग्नि अंकेक्षण परिणाम पर चर्चा की गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में अस्पतालों का दुबारा निरीक्षण करने पर अग्नि प्रवणता अंक में कमी पायी गई। खासकर नवादा, मुंगेर, जमुई, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, शेखपुरा आदि जिलों में अच्छे परिणाम लक्षित हुए। कुछ जिलों जैसे– औरंगाबाद, बांका, कटिहार, किशनगंज आदि के परिणाम में अल्प परिवर्तन ही पाया गया। इन जिलों के पदाधिकारियों से इन अस्पतालों को '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जरूरी उपाय करने का निर्देश देने को कहा गया एवं पुनः जांच कर रिपोर्ट भेजने हेतु निदेशित किया गया, ताकि इस रिपोर्ट का अध्ययन कर उचित दिशा–निर्देश दिया जा सके। इस बैठक में राज्य सहायक अग्निशाम अधिकारी एवं सभी जिलों के समादेष्टा उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता उपमहानिरीक्षक –सह–उप–महासमादेष्टा के द्वारा की गई।

दिनांक 17/08/2021 को पटना हाईकोर्ट में अग्नि सुरक्षा पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि के साथ–साथ बिहार अग्निशाम सेवा के अधिकारी एवं हाईकोर्ट के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में भवन एवं परिसर को अग्नि से सुरक्षित बनाने हेतु आवश्यक उपायों को करना, फायर इंजीनियरिंग व अग्निशमन संबंधी स्वचालित सयंत्रों को अधिष्ठापित करना एवं सुरक्षा कर्मी, अधिकारियों एवं कर्मियों का फायर सेफ्टी पर प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल के जरिये उनका क्षमतावर्द्धन करना। इसके अतिरिक्त परिसर में अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता हेतु पोस्टर एवं साइनेज का उपयुक्त जगहों पर लगाने आदि विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद दल (प्राधिकरण प्रतिनिधि, अग्निशाम सेवा के अधिकारी एवं कनीय विद्युत अभियंता) के द्वारा कोर्ट भवन/परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वर्तमान दृष्टिगोचर स्थिति निम्नांकित है:–

1. यह सारी व्यवस्थाएं उचित विद्युत सप्लाई के लिए ठीक पाए गए।

a. विद्युत के तार व्यवस्थित अवस्था में पाये गये।

b. ट्रांसफॉर्मर एवं डीजी सेट के आस–पास समुचित सफाई है।

c. नये भवन के इलेक्ट्रिक पैनल व्यवस्थित हैं एवं नीचे रबर मैट बिछाया हुआ है।

d. अर्थिंग के लिए ताम्बे की पट्टी का प्रयोग किया गया है।

2. निम्नांकित सुझाव अग्नि सुरक्षा हेतु दिए गए जिन पर अविलम्ब कार्यवाही अपेक्षित हैं।

(i) पैनल रूम में फायर फाइटिंग इक्यूपमेंट लगाने की आवश्यकता है।

(ii) फायर एक्सटिंग्यूशर को एक कोने की जगह न लगा कर अलग–अलग जगहों पर लगाने के आवश्यकता है जो लोगों की पहुँच में हो। इसके अतिरिक्त फायर बॉल रखने की भी आवश्यकता है।

(iii) ट्रांसफार्मर के Silica जेल को बदलने के साथ–साथ मेन्टेनेन्स की आवश्यकता है।

(iv) ट्रांस्फार्मर के मुख्य पैनल रूम के आस–पास के कबाड़ को तत्काल हटाने की जरूरत है।

(v) ट्रांसफार्मर परिसर की दीवार से लगे मोटरसाईकल स्टैंड को स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।

(vi) मुख्य भवन में electric पैनल रास्ते के बगल में है जो कि शार्ट सर्किट होने या आग लगने पर लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने में बाधक है साथ ही आग लगने की वजह भी बन सकता है। इसलिए उस पैनल को उचित जगह पर स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।

(vii) इसी प्रकार प्रसाल भवन में सीढ़ी एवं रास्ते के बगल में पोस्ट ऑफिस के पास के पैनल एवं भवन के गलियारे में लगे इलेक्ट्रिक पैनल को बाहर या दूसरे स्थान पर लगाये जाने की आवश्यकता है।

(viii) मुख्य भवन में अवस्थित इलेक्ट्रिक पैनल के कमरे से रद्दी कागज, कार्टन एवं अन्य कबाड़ को तत्काल हटाने की आवश्यकता है।

(ix) प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार के पास की सीढ़ी, जो कि अग्नि निकास मार्ग भी है, को अबाधित रखने की आवश्यकता है। उस पर दोनों तरफ रखे रिकार्ड के बंडलों को वहां से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(x) रिकार्ड रूम में फायर बॉल, एवं पर्याप्त संख्या में फायर एक्स्टिंग्यूशर लगाने की आवश्यकता है।

(xi) रिकार्ड रूम को वाटर कर्टेन से सुरक्षित किया जा सकता है।

(xii) Assembly एरिया को चिह्नित कर वहां एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता है।

(xiii) एफ.आर.पी. प्लान बनाना एवं प्लान के अनुसार संबंधित सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी तय करना शेष है।

(xiv) Emergency exit मार्ग पर बैटरी ऑपरेटेड इमजेंसी लाईट लगाना चाहिए। साथ ही अंधेरे में चमकने वाले फायर निकास के साइनेजेज को उचित जगहों पर लगाना आवश्यक है।

(xv) फायर कंट्रोल रूप की स्थापना अविलम्ब की जानी चाहिए।

(xvi) सर्वर रूम के लिए रास्ता काफी संकीर्ण है एवं रास्ते पर कम्प्यूटर व अन्य कबाड़ का भंडारण है जिसे वहां से हटाना आवश्यक है ताकि आग लगने की स्थिति में लोग आसानी से बाहर निकल सकें।

(xvii) सर्वर रूम में फोम से आग बुझाने की व्यवस्था करनी है।

(xviii) MCB, MDB, SDB एवं पैनल के पास फायर फाइटिंग इक्यूपमेंट/एक्सटिंग्यूशर को लगाना जरूरी है।

(xix) खास कर रिकार्ड रूम एवं सर्वर रूम में, स्वचालित स्मोक एक्सट्रैक्टर लगाना आवश्यक है।

(xx) हूटर व PA System लगाना जरूरी है।

(xxi) प्रत्येक भवन में कम से कम एक–एक फायर हाइड्रेंट एवं जॉकी पंप का होना आवश्यक है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में अग्निशाम सेवा के द्वारा चिन्हित जगहों पर पर्याप्त संख्या में फायर एक्स्टिंग्यूशर लगाना एवं बिजली विभाग के इंजीनियर के द्वारा बिजली के तारों, बिजली बोर्ड, स्विच एवं सॉकेट की गुणवता एवं क्षमता का आकलन कराकर बिजली भार के अनुसार तार व अन्य उपकरणों को लगाने से आग की घटना को नियंत्रित किया जा सकता है। बैठक में कोर्ट ऑफिसर एवं माननीया निबंधन, स्थापना प्रभारी, पटना उच्च न्यायालय की विशेष उपस्थिति रही।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(N) ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास पदाधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों की आपदा प्रबंधन में प्रखंड एवं अंचल स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह समीचीन है कि उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि का पूर्ण ज्ञान हो। साथ ही उनको आपदा रिस्पांस के लिये निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यों की जानकारी भी हो। विशेष कर विभिन्न आपदाओं के लिए गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं, मार्गदर्शिकाओं तथा प्रखंड/अंचल स्तर पर इनके इस्तेमाल के संबंध में अवगत होना भी अत्यावश्यक है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास सेवा एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इस आलोक में अभी तक हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:

बैच संख्या	दिनांक	अंचल अधिकारी	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	कुल प्रतिभागी
1	23–25 मार्च 2021	23 + 01 (राजस्व कर्मचारी)	01	25
2	28–30 जुलाई 2021	22	03	25
3	10–12 अगस्त 2021	21	01	22
4	25–27 अगस्त 2021	17	0	17
कुल		83 + 01 (राजस्व कर्मचारी)	04	89

(O) Bihar State Disaster Resource Network की Review मीटिंग

6 अगस्त 2021 को Bsdrn से संबंधित समीक्षा बैठक प्राधिकरण के सदस्य श्री पी0 एन0 राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि डाटा सही हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका सही से उपयोगा हो सके। उन्होंने कहा कि डाटा का रिकॉड ठीक करने के लिए संबंधित जिलों को निदेश दिया जाये।

बैठक में प्रोजेक्ट ऑफिसर डा0 पल्लव कुमार, वरीय तकनीकी सहायक सुम्बुल अफरोज एवं तकनीकी सहायक मनोज कुमार उपस्थित थे।

BSDRN पोर्टल पर अगस्त 2021 तक 31765 प्रकार के मानव बल समेत अन्य उपकरण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हुए। यह इस प्रकार हैः–

खोज एवं बचाव उपकरण :– 4525
कुशल जनशक्ति :– 9652
परिवहन :– 1889
खाद्य और जल जलस्त्रोत :– 4759
सुरक्षा और आश्रयः– 7144
आपातकालीन आपूर्ति और सेवाएं :– 3796
कुल संख्या :– 31765

(P) Mass Messaging

बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है, जहां लगभग सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात इत्यादि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– **(148890)**, आशा कार्यकर्ता **(77542)**, आगनबाड़ी सेविका **(45946)** एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्रियों में उपस्थित अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय–समय पर नियमित मास मैसेजिंग (सामूहिक संदेश संप्रेषण) किये जाते हैं।

मास मैसेजिंग आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यूनिट बन गया है। जिसका उपयोग न केवल Early Warning तक सीमित है, बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु भी जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक की मदद से कम समय में अधिकतम लोगों को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। माह जुलाई में कुल **9580429** कुल मास मैसेजिंग किया गया।

निम्नलिखित आपदाओं से बचाव के लिए संदेश भेजे गएः–

- **सड़क दुर्घटना से बचने के उपायः**
- **आसमान मे बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय**
- **नाव दुर्घटना से बचने के उपाय**
- **बाढ़ के बाद क्या करें**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जनहित में जारी संदेश

सड़क दुर्घटना से बचने के उपायः

सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बाये देख कर पार करें।
सड़क पर चलते समय या सड़क पार रकते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाले सवारी हमेशा हेलमेट पहन की चलें।
हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़े।
गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें।

आसमान मे बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय

यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। एवं मोबाईल का उपयोग न करें।
जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे–
लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
उँचे पेड़ के नीचे एवं समूह में न खड़े हों।
बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
समूह में खड़े न हों।
रेडियो और टी0वी0 पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय

जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफबॉय, के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों, उसी नाव से यात्रा करें।

बाढ़ के बाद क्या करें।

अनावश्यक रूप से बाढ़ के पानी में न निकलें।
अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।
हैण्डपंप व कुएँ इत्यादि की सफाई सुनिशिचित करें व पानी उबाल कर ही पियें।
बच्चों को बाढ़ के पानी में घुमने व खेलने न दें।
बिजली के खम्भों के निकट खड़े न रहें।
खुले में शौच न करें।
अफवाह न फैलाएं न उस पर ध्यान दें।